

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 371/2025

पूनम पुत्री स्व. श्री कलवन्त सिंह पत्नी श्री हनुमान जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू
हाल आबाद रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) - वादीया

बनाम्

1. चन्द्रकला पत्नी स्व. श्री कलवन्त सिंह जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
 2. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।
- प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मूण्ड वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री गगन मिढा वकील प्रतिवादी संख्या 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 12 एमजेडी के खाता संख्या 25/14 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 मे प्रतिवादी संख्या 1 चन्द्रकला पत्नी कलवन्त सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादीया पूनम पुत्री कलवन्त सिंह पत्नी हनुमान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट:- प्रश्नगत भूमि बैक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज नल मुब्लिक निल बाबत निल खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 5.8.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
संगरिया